दिनांक	आज्ञा - पत्र
22/4/24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य काय में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 01/5/24 को पेश हो।
9/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस आदेश अन्तर्गत 7 R11 सपठित धारा 151 CPC सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 16/5/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
16/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित निर्णय उभयपक्ष सुनाया गया। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फौलद शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 231/2008

दीनदयाल दतक पुत्र गोरूराम जाति जागिड निवासी दादिया तहसील व जिला सीकर
वादी,

बनाम

1. अणची बेवा गोरूराम जाति जागिड निवासी दादिया तहसील व जिला सीकर ।
2. केशरी स्त्री मोतीलाल निवासी किरडोली तहसील व जिला सीकर।
3. तहसीलदार सीकर।

प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री कैलाश बिजारणियां, वकील वादी की ओर से।
2. श्री प्रभाती लाल,वकील प्रति0सं0 1, 2 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित
धारा 151 सीपीसी

निर्णय

दिनांक –16.05.24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम दादिया तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 75 रकबा 3.55 है0 अवस्थित है उक्त कृषि भूमि का पूर्व में रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 का पति व 2 का पिता गोरूराम था । जिसका निर्वसीयति स्वर्गवास हो गया था जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के पति व 2 के पिता द्वारा मृत्यु के समय छोडी गयी उपरोक्त कृषि भूमि एवं अन्य सम्पदाये हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 10 के प्रावधानो के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को समान अश में उतराधिकार में प्राप्त हो गयी। वादी को प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 का पति व 2 का पिता ने कभी भी गोद नही लिया था, नही वादी के माता पिता ने वादी को कभी गोद दिया था इस प्रकार न कोई रजिस्टर्ड गोदनामा है ना ही इस संबंध में किसी सक्षम सिविल न्यायालय की डिकी है फिर भी वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 का पति व 2 का पिता का दतक पुत्र बनकर राजस्व रिकार्ड में उतराधिकार के नामान्तरण से 1/3 हिस्सा पर वादग्रस्त कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज करवा लिया। वादी ने दावा संख्या 48/1997 में तीनो को खातेदार घोषित करवाना चाहा है एवं दावा संख्या 278/1993 में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटवाना चाहा है। अतः वाद पत्र इस कारण से विधि द्वारा वर्जित की प्रतिवादी संख्या 2 के नाम उतराधिकार के कम में मात्र 1/3 हिस्सा की खातेदारी दर्ज उतराधिकार के नामान्तरण से दर्ज हुई है जो कि मृतक खातेदार की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है जो कि अपने हिस्से की हिन्दू उतराधिकार

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार पूर्ण स्वामिनी है एवं उसे हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 10 के अनुसार एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार कृषि भूमि प्राप्त हुई है जिसके संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं कन्सोलिडेट वाद पत्र हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 10 के अनुसार एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानो के अनुसार व विधि के प्रावधानो के विपरित होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया है

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब वकील वादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 के पति गोरूराम का दत्तक पुत्र है ओर विवादित कृषि भूमियां वादी को उतराधिकार में प्राप्त हुइ है प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त कृषि भूमियो में कोई हक, अधिकार, कब्जा नही है। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के पति व उसके पिता ने सभी रश्मो को पूर्ण करते हुयें गोद लिया था इस कारण वादी स्व0 गोरूराम का दतक पुत्र होने के कारण वह विधिक वारिस है तथा उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार वादी प्रथम श्रेणी की वारिस है। वादी का वाद किसी भी विधि द्वारा वर्जित नही है। वादी विवादित कृषि भूमियो में हिन्दू उतराधिकार के अनुसार हक, हिस्सा, कब्जा अधिकार है और यह वाद प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार रखता है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर है कि वादी द्वारा वाद इस कथन के साथ पेश किया कि मै मेरे दत्तक पिता का दत्तक पुत्र, मेरी बहन व दत्तक माता है तीनो के नाम खातेदारी बहिस्सा बराबर अंकित है परन्तु मेरी बहन ससुराल में रहने के कारण काश्त नहीं करने के कारण विवादित सम्पदा में उसका काई हिस्सा नही बनता है। अतः उसका नाम हजब किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार घोषित किया जावे।

वादी के वाद कथन के अभिकथनो को कानूनी परिधी में देखा जावे तो वादी द्वारा इस कथन के साथ विवादित सम्पदा में अपनी बहन का हिस्सा नही होना अभिकथित किया जा रहा है कि वह अपने ससुराल में रहती है व कभी काश्त नही किया। वाद पत्र के अभिकथन के अनुसार स्वीकृत किया, वाद ग्रस्त सम्पदा वादी, बहन व माता को विरासतन प्राप्त हुई। विरासत प्राप्त सम्पदा के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत प्रावधानो में पैतृक सम्पदा मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसो में सम्पदा न्यागत होती है। प्रस्तुत प्रकरण में भी मृतक खातेदार गोरूराम की सम्पदा उसके प्रथम श्रेणी के वारिसो को ही न्यागत हुई है। जिसे किसी भी कानूनी प्रावधानों के तहत अमान्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बिना किसी कानूनी प्रावधान के पेश किया होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वाद वादी खारिज किया जाता है।

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर